

कार्यालय,
आयकर आयुक्त,
पटियाला ।

दिनांक : 07.04.2011

आवेदक का नाम : रहिबर फाउंडेशन C/o खान हॉस्पिटल एण्ड मेटर्निटी
होम, पुराना सुपर पाईप फैक्टरी रोड, भवानीगढ़ ।

वित्तीय वर्ष : 2010 - 11

आदेश की तारीख : 07.04.2011

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के साथ पठित धारा 12ए के अधीन आदेश :

आवेदक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए के अधीन पंजीकरण के लिए दिनांक 17.01.2011 को आवेदन दिया था । उन्होंने अपने आवेदन के साथ संघ के ज्ञापन के साथ नियमों एवं विनियमों की प्रतियां भी लगाई थी । अपर रजिस्ट्रार-कम-जनरल मैनेजर, जिला उद्योग सेंटर, मलेरकोटला (संगरूर) के पास रजि०डी.आई.सी./डी.आर.ए./5076 ऑफ 2008 दिनांक 21.05.2008 के अधीन पंजीकृत कराया गया था । जैसा कि ऊपर लिखा गया है, पंजीकरण के लिए दिनांक 17.01.2011 को आवेदन दिया गया । आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए दिनांक 01.06.2007 को अथवा उसके बाद दिए गए आवेदन, जिन पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए की उप धारा (2) के उपबंधों द्वारा नियंत्रित धारा 11 एवं 12 लागू होती है, को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

“ दिनांक 01.06.2007 को अथवा उसके बाद बनाए गए सोसाइटी या संस्था अथवा 01.06.2007 से पहले बनाई गई सोसाइटी या संस्था, जिन्होंने इस तारीख से पहले आवेदन नहीं दिया है, नए उपबंधों के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा वे उस निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष से संबंधित के लिए पंजीकरण के योग्य होंगे जिसमें आवेदन दिया गया है । ”

अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, पंजीकरण केवल उस वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा जिसमें आवेदक ट्रस्ट/सोसाइटी ने दिनांक 01.06.2007 को अथवा उसके पश्चात् आवेदन दिया है ।

2. उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए आयकर अधिनियम 12ए के उपखंड (बी)(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर आयुक्त, पटियाला द्वारा रहिबर फाउंडेशन C/o खान हॉस्पिटल एण्ड मेटर्निटी होम, पुराना सुपर पाईप फैक्टरी रोड, भवानीगढ़ को दिनांक 01.04.2010 (वित्तीय वर्ष 2010-11) और इस से आगे के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा पंजीकरण प्रदान किया जाता है :-